रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 241] नई दिल्ली, सोमवार, जून 6, 2016/ज्येष्ठ 16, 1938
No. 241] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 6, 2016/ JYAISTHA 16 , 1938

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 25 मई, 2016

सं. टीएमपी/62/2012-जेएनपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतदद्वारा, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के मौजूदा दरमानों की वैधता का, संलग्न आदेशानुसार, विस्तार करता है ।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

(मामला सं. टीएएमपी/62/2012-जेएनपीटी)

गणपूर्ति

I. श्री टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

II. श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(मई 2016 के 19 वें दिन पारित)

यह आदेश जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) के मौजूदा दरमानों की वैधता के विस्तार से संबंधित है ।

2. जेएनपीटी के मौजूदा दरमान 4 अप्रैल, 2014 के आदेश संख्या टीएएमपी/62/2012-जेएनपीटी के द्वारा अनुमोदित किए गए थे जो भारत के राजपत्र में 19 मई, 2014 को अधिसूचित हुए थे । उक्त आदेश में दरमानों की वैधता 31 मार्च, 2016 तक निर्धारित की गई थी।

3.1 जेएनपीटी ने अपने 1 अप्रैल, 2016 के पत्र द्वारा सूचना दी है कि वे अपने दरमानों को संशोधित करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं । लेखाओं को वार्षिक बंद करने और उससे संबद्ध कार्य को ध्यान में रखकर जेएनपीटी ने मौजूदा दरमानों की वैधता का 30 सितम्बर, तक विस्तार करने का अनुरोध किया है । तथापि जेएनपीटी ने प्रस्ताव को दायर करने का समय नहीं बताया है ।

3.2 पत्तन द्वारा किए गए निवेदन को ध्यान में रखकर, जेएनपीटी को दरमानों के सामान्य संशोधन के प्रस्ताव को 15 जून, 2016 तक दायर करने की अनुमति दी जाती है ।

3.3 जेएनपीटी से प्रस्ताव की प्राप्ति पर प्रस्ताव को निपटाने के लिए अपेक्षित समय को ध्यान में रखकर, यह प्राधिकरण जेएनपीटी के मौजूदा दरमानों को उनकी समाप्ति की तारीख से 31 अगस्त, 2016 अथवा संशोधित दरमानों के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तार करता है ।

4. 1 अप्रैल, 2016 के बाद की अवधि के लिए जेएनपीटी को होने वाले अतिरिक्त अधिशेष का निरूपण महापत्तन न्यास प्रशुल्क नीति 2015 द्वारा अधिशासित होगा ।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./143/16 (122)]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 25th May, 2016

No. TAMP/62/2012-JNPT.—In exercise of the powers conferred under Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of the Jawaharlal Nehru Port Trust as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No.TAMP/62/2012-JNPT

QUORUM

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

O R D E R

(Passed on this 19th day of May, 2016)

This Order relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT).

2. The existing Scale of Rates (SOR) of the JNPT was last approved by this Authority vide Order No.TAMP/62/2012-JNPT dated 4 April, 2014 which was notified in the Gazette of India on 19 May, 2014. The Order prescribed the validity of the SOR till 31 March, 2016.

3.1. The JNPT vide its letter dated 1 April, 2016 has intimated that they are in the process of revising their Scale of Rates. However, keeping in view the impending Annual Closing of Accounts and work associated therewith, the JNPT has requested to extend the validity of the existing SOR till 30 September. JNPT has, however, not indicated the time by when it will file the proposal.

3.2. In view of the submissions made by the Port, the JNPT is allowed time upto 15 June 2016 to file its proposal for general revision of SOR.

3.3. Considering the time required to dispose of the proposal on receipt of the proposal from the JNPT, this Authority extends the validity of existing SOR of JNPT from the date of its expiry to 31 August 2016 or till the effective date of implementation of the revised SOR, whichever is earlier.

4. The treatment of additional surplus, if any, accruing to the JNPT for the period beyond 1 April 2016 will be governed by the new Tariff Policy for Major Port Trusts, 2015.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./143/16 (122)]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.